रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112025-267399 CG-DL-E-06112025-267399

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4845]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 2025/कार्तिक 13, 1947

No. 4845]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2025/KARTIKA 13, 1947

# सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

का.आ. 5000(अ).—जबिक, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत, समय-समय पर, जारी राष्ट्रपित आदेशों में उल्लिखित धर्मों के अलावा अन्य धर्म में धर्मान्तरित तथा ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जातियों से संबंध होने का दावा करने वाले नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के मामले और तत्संबंधी मुद्दों की जांच के लिए जांच आयोग (इसके बाद में उक्त आयोग कहा जाएगा) का गठन 6 अक्टूबर, 2022 को अधिसूचना संख्या का. आ. 4742(अ) दिनाँक 6 अक्टूबर, 2022 द्वारा किया गया था;

और जबिक, उक्त आयोग को 10 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करने थी:

और जबिक, उक्त आयोग के अनुरोध पर, अधिसूचना संख्या का.आ. 4780(अ). दिनाँक 30 अक्टूबर, 2024 द्वारा इसकी अविध को 11 अक्टूबर, 2024 से 10 अक्टूबर, 2025 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था;

और जबिक, उक्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट और सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए और समय देने के लिए अनुरोध किया था;

7332 GI/2025 (1)

इसलिए, अब, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 11 अक्टूबर 2025 से 10 अप्रैल, 2026 तक 6 महीनों की अवधि के लिए उक्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाती है।

2. आयोग 10 अप्रैल, 2026 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. आरएल-12016/9/2021-आरएल सैल] कार्लिन खोंगवार देशमृख, अपर सचिव

#### MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

#### (Deartment of Social Justice and Empowerment)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th November, 2025

**S.O.** 5000(E).—Whereas, the Commission of Inquiry (hereinafter called the said Commission) was constituted on 6<sup>th</sup> October, 2022 *vide* notification number S.O. 4742(E) dated the 6<sup>th</sup> October, 2022 under section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), to examine the matter of according Scheduled Caste status to new persons, who claim to historically have belonged to Scheduled Castes but have converted to religion other than those mentioned in the Presidential Orders issued from time to time under article 341 of the Constitution, and matters related thereto;

And whereas, the said Commission was required to submit its report and recommendations on or before the 10<sup>th</sup> October, 2024;

And whereas, on the request of the said Commission, its tenure was extended for a period of one year from the 11<sup>th</sup> October, 2024 to 10<sup>th</sup> October, 2025 *vide* notification number S.O. 4780 (E) dated the 30<sup>th</sup> October, 2024;

And whereas, the said Commission had requested for further time for finalising its report and recommendations;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby extend the tenure of the said Commission, for a period of six months with effect from the 11<sup>th</sup> October, 2025 to 10<sup>th</sup> April, 2026.

2. The Commission shall submit its report by the 10<sup>th</sup> April, 2026.

[F. No. RL-12016/9/2021-RL Cell]

CARALYN KHONGWAR DESHMUKH, Addl. Secy.